प्रेस नोट ***08/06/2026***

थाना मधुबन की साइबर टीम द्वारा साइबर ठगी के एक पीड़ित के खाते में 20,000/- रुपये वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मधुबन व प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा थाना मधुबन साइबर पोर्टल आवेदक मो0 जहीद पुत्र इजहारूल हक निवासी सिपाह इब्राहिमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा गलती से दूसरे व्यक्ति के खाते में 20000 पैसे ट्रांसफर हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत थाना मधुबन पर की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना मधुबन में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मो0 जहीद पुत्र इजहारूल हक निवासी सिपाह इब्राहिमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 20000/- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए एक मोबाइल फोन थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित को वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे साइबर फ्राड अभियान के क्रम में ,श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनूप कुमार , श्रीमान् क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह, थाना अध्यक्ष कोपागंज श्री रोहन राकेश सिंह के कुशल निर्देशन में, आवेदक अमरनाथ यादव निवासी सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ का vivo कम्पनी का मोबाइल गुम हो गया था जिसके सम्बन्ध मे आवेदक ने गुम होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था उक्त प्रार्थना पत्र पर तत्काल कार्यवाही करते हुये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज द्वारा आवेदक का उक्त vivo कम्पनी की मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 32000 है आवेदक को साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज द्वारा सही हालत में दिनांक 08.06.26 को वापस कराया गया।

प्रेस नोट जनपद मऊ

जनपद-मऊ थाना कोपागंज में घटित घटना में दोषसिद्धि का विवरण-

1- घटित घटना के संबन्ध में 1. रवि प्रकाश साहनी उर्फ रवि पुत्र सुरेंद्र साहनी उर्फ लकठु निवासी अंधा मोड़ भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ 2. राहुल सिंह पुत्र मृगेंद्र सिंह निवासी असलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ 3. धीरज सोनकर पुत्र गोरेलाल सोनकर निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 28.03.2018 को मु0अ0सं0 81/2018 धारा 302,201 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग थाना कोपागंज जनपद मऊ में पंजीकृत किया गया।

2-अभियोग मे अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक . 25.06.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

3-अभियोजन विभाग से समन्वय करके प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 08/06/2026 को मा0 न्यायालय एएसजे 1 कोर्ट मऊ द्वारा दोषी अभियुक्तगण (रवि प्रकाश साहनी,राहुल सिंह) को आजीवन कारावास की सजा का दंड व 42,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थ दंड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। व अभियुक्त धीरज सोनकर को 3 वर्ष का कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा